मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :–113/2024

1. हंसराज पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — **वादी**

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— — **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री दिनांक :– 22.07.2024

वादी की ओर से श्री रूपराम कासनियां अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर से श्री रामस्वरूप भादु की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.07.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 28/31 में पत्थर नम्बर 184/292(32) किला नम्बर 21/0.253 हैक्टर नहरी आराजी में प्रतिवादी कृष्ण कुमार के 1/2 हिस्सा की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकॉर्ड में अंकन कर चक नम्बर 14 जी.जी.आर. के खाता संख्या 28/31 में से प्रतिवादी कृष्ण कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.03 14:01:10 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकैन अपना–अपना बहन ... आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी